संख्या–3761 / 9–आ–4–2000–6जी0 / 2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 3 जनवरी, 2000

विषय :नजूल भूमि फ्री–होल्ड हेतु स्टैम्प पेपर पर टंकित हो चुके विलेखों के निष्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पार्श्वांकित शासनादेशों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाँक 10.8.99 के

1. संख्या–1803 / 9–आ–4–95–293 एन / 90, दिनाँक 26.9.95
2. संख्या–1895 / 9–आ–4– 99–293 एन / 90, दिनाँक 7.7.99
3. संख्या–2097 / 9–आ–4–99–293 एन / 90, दिनाँक 10.8.99

प्रस्तर–4 में, वर्तमान में यह निर्देश दिये गये हैं कि फ्री–होल्ड की सरलीकृत नीति शासनादेश दिनाँक 1.12.98 के अन्तर्गत फ्री–होल्ड के ऐसे मामले जिनमें पूरी धनराशि जमा हेाने के पश्चात शासनादेश दिनाँक 7.7.99 के पूर्व में लागू फ्री–होल्ड विक्रय–विलेख प्रपत्र पर विलेख टंकित करा लिया गया हो परन्तु किन्हीं कारणों से विलेख निष्पादन नहीं हो पाया हो, की सूचना शासन को भेजी जायेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में अब सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों को शासन को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

इस समस्या के व्यावहारिक समाधान हेतु स्टैम्प पेपर पर टंकित हो चुके विलेख में निम्न अंश और बढ़ा दिये जायें :–

''प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या–1562 / 9–आ–4–92–293 एन / 90, दिनाँक 23.5.92 एवं तत्पश्चात समय–समय पर जारी किये गये अन्य सभी सुसंगत शासनदेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री–होल्ड भूमि घोषित करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में की जा रही यह फ्री–होल्ड की कार्यवाही मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–1557–59 / 95 राज्य सरकार बनाम सत्यनारायण कपूर में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन होगी।''

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।